गन्ने की एफआरपी 275 रुपये प्रति क्विंटल घोषित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आगामी पेराई सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की घोषणा कर दी है। चीनी के अधिक उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार ने गन्ना मूल्य को पिछले साल के 275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर ही कायम रखा है। चीनी मूल्य को स्थिर रखने और किसानों के गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस साल भी बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इस बार यह 40 लाख टन का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में यह फैसला लिया गया है। यह फैसला कृषि मूल्य व लागत आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के अनुरूप है।

कैबिनेट का फैसला

- पिछले साल के बराबर ही रखा गया गन्ना मूल्य, रिकवरी दर 10 फीसद
- 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाएगी सरकार, गन्ना भुगतान में मिलेगी मदद

कैबिनेट के फैसले की यह जानकारी केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। गन्ने का यह मूल्य 2019-20 के अक्तूबर माह में शुरू होने वाली पेराई सीजन पर लागू होगा। सीएसीपी की सिफारिशों में एफआरपी की यह दर 10 फीसद की रिकवरी दर पर तय किया गया है। इसके अलावा प्रति अंक 2.75 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। जबकि बीते पेराई सीजन में 9.5 फीसद की रिकवरी दर को आधार बनाया गया था, जिसके ऊपर प्रति अंक 2.68 रुपये का अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान किया गया था।

जावड़ेकर ने कहा कि एफआरपी की घोषणा में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे उनकी उपज के मूल्य के भुगतान की पूरी गारंटी होगी। एफआरपी का निर्धारण चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत मूल्य तय किया जाता है। इसके तहत मिलें गन्ने का भुगतान करने को बाध्य होंगी। सरकार के एफआरपी की घोषणा का इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने स्वागत करते हुए कहा कि यही होना चाहिए था। इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि बीते वर्षों में एफआरपी में तेज और भारी बढ़ोतरी की गई थी। यही वजह है कि गन्ना अन्य फसलों के मुकाबले अधिक लाभ देने वाली फसल बना गया। चीनी उत्पादन में गन्ना मूल्य की भागीदारी 70 से 75 फीसद होती है। वर्मा ने बताया कि इससे किसानों का बकाया चुकाने और ताजा मूल्य का भुगतान करने में मदद मिलेगी। देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसके ऊपर अपना मूल्य तय करते हैं, जिसे राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) कहा जाता है।